अत्यावश्यक
पंचायत आम चुनाव, 2021

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

पत्र संख्या–प0 नि0 30–167/2021–

प्रेषक,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक

पटना, दिनांक– **अगस्त, 2021**

विषय :– पंचायत आम निर्वाचन 2021 : विधि व्यवस्था से संबंधित प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायत आम निर्वाचन, 2021 सम्पन्न कराये जाने हेतु राज्य सरकार स्तर से अधिसूचना प्रकाशन किया जा चुका है।

उल्लेखनीय है कि अधिसूचना निर्गत की तिथि से सभी पंचातय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार सहिंता प्रभावी हो गया है। आयोग द्वारा उम्मीदवारों तथा सरकारी विभागों के कर्मियों के लिए आदर्श आचार सहिंता संसूचित ज्ञापांक 3146 दिनांक 17.08.2021 संलग्न है। पंचायत आम निर्वाचन, 2021 को निष्पक्ष, स्वच्छ एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने हेतु यह अत्यंत आवश्यक है कि असामाजिक एवं उपद्रवी तत्वों को निरूत्साहित किया जाय तथा उसके विरूद्ध अभी से सरकार के पास उपलब्ध वैधानिक विकल्पों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाय।

2. इस परिप्रेक्ष्य में यह और आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक जिले में अपराधी एवं उपद्रवी तत्वों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया जाय। यह कार्रवाई पंचायत आम निर्वाचन 2021 संपन्न होने तक जारी रखी जाय ताकि विधि–व्यवस्था की स्थिति नियंत्रित रह सके और चुनाव की प्रक्रिया के दौरान असामाजिक तत्व भागते नजर आयें।

3. उक्त परिप्रेक्ष्य में आप सभी को निम्नलिखित बिन्दुओं पर सक्रिय (effective)कार्रवाई करने हेतु आयोग द्वारा निम्नांकित निदेश दिये गये हैं :–

(क) विगत पंचायत आम निर्वाचन के मतदान केन्द्रों पर कब्जा एवं अन्य निर्वाचन संबंधी अपराध से संबंधित स्थानों का मैप तैयार किया जाये।

(ख) निर्वाचन संबंधी अपराधिक मामलों का डाटाबेस तैयार किया जाये।

(ग) लंबित गैर जमानती वारंट एवं फरार अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित किया जाय।

(घ) संबंधित दडाधिकारियों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता के संगत प्रावधानों के अधीन असामाजिक/उपद्रवी एवं अशांति पैदा करने वाले तत्वों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

(ङ) ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस गश्ती तेज किया जाय तथा लगातार छापामारी भी किया जाय। Arms Act. के तहत अवैध आग्नेयाशस्त्र की जब्ती की कार्रवाई की जाय।

(च) सूचना के आधार पर मतदाताओं को प्रभावित करने के उदेश्य से अवैध रूप से वितरण किये जाने वाली नकद राशि/सामग्री की छापामारी कर जब्त करते समय यह ध्यान रखा जाये की जब्त राशि/सामग्री का संबंध निश्चित रूप से निर्वाचन से हो।

(छ) Bihar Excise (Amendment) Act 2016 का पूर्ण अनुपालन कराया जाय।

(ज) लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन कराया जाये।

(झ) नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव कराने हेतु नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का मैप और चुनावी हिंसा की मैंपिग तैयार कर ली जाये ताकि मतदान सुगमता से कराया जा सके।

(ञ) अन्य वैधानिक उपाय जो स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराने के लिए आवश्यक हो।

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847, E-mail: secbihar@gmail.com

(ट) विधि व्यवस्था से संबंधित प्रतिवेदन हेतु डिजिटाईज्ड प्रपत्र तैयार किये गये हैं। जो राज्य निर्वाचन आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है, जिसका User Manual भी पत्र के साथ संलग्न है।

अनुरोध है कि अपराध नियंत्रण एवं विधि–व्यवस्था से संबंधित प्रतिवेदन रूटीन रूप में नहीं लिया जाय। विधि व्यवस्था से संबंधित प्रतिवेदन आयोग एवं पुलिस महानिदेशक को उपलब्ध कराया जाय।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0/–
सचिव।

ज्ञापांक प0नि0 30–167/2021–3346 पटना, दिनांक–28 **अगस्त, 2021**

प्रतिलिपि : आई0टी0 मनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार को आयोग के बेवसाइट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

सचिव।